

27/10/21

अज अदालत फरद अहकाम (नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

कलवन्त कोर बनाम सरकार
किसम गुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 120 सन् 2021

जी सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी किए
27.10.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सि.जे.के.डी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/283. दिनांक 27.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत २ मासगाढ़ में प्रार्थी के नाम चक 62 N.P. की जमाबंदी सम्बन्ध 2075-2078 के खाता सं. 27 में <u>कलवन्त कोर पत्नी रेशम सिंह</u> 0-577 80 के स्थान पर <u>कलवन्त कोर पत्नी रेशम सिंह</u> 0-577 80</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सि.जे.के.डी</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक 62 N.P. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध 2075-2078 के खाता सं. 27 में <u>कलवन्त कोर</u> <u>पत्नी रेशम सिंह</u> 0-577 80 के स्थान पर <u>कलवन्त कोर पत्नी रेशम सिंह</u> 0-577 80</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया। <u>रहनमुद्दत रोने पर इजाजत करे</u></p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

